न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्याः 74 / 2021

र्थीगण :–

1. राणाराम पुत्र देवाराम
2. लुंभाराम पुत्र देवाराम
3. बाबूराम पुत्र सवाईराम
4. भेराराम पुत्र सवाईराम
5. अमरू पत्नी सवाईराम
6. ताजा वल्द भभूताराम फौत के वारिसान :–
   6 / 1 चम्पालाल पुत्र ताजाराम
   6 / 2 थानाराम पुत्र ताजाराम
   6 / 3 हीराराम पुत्रताजाराम
7. जोगाराम पुत्र जीवाराम
8. भंवरीदेवी पत्नी जोगाराम
9. रामूदेवी पत्नी खेमाराम
10. शान्तिदेवी पत्नी जोगाराम
11. हरखूदेवी पत्नी रामाराम
    जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
    (प्रार्थी संख्या 8 से 11 विवादित भूमि खरीद करने से पक्षकार प्रार्थी)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रूडाराम पुत्र बधाराम
2. रणजाराम पुत्र बधाराम
3. जेताराम पुत्र बधाराम
4. चेतनराम पुत्र बधाराम
5. लेहरो पत्नी बधाराम
6. लालाराम पुत्र बधाराम
7. नगाराम पुत्र बधाराम
8. खेराजराम पुत्र बधाराम
9. श्रवणराम पुत्र लूणाराम
10. नरसीराम पुत्र लूणाराम
11. मोतीराम पुत्र लूणाराम
12. बांकाराम पुत्र लूणाराम
13. मांगी पुत्री माधाराम
14. अणसी पत्नी लूणाराम
15. उकाराम पुत्र ईशराराम
16. चूनीदेवी पत्नी ईशराराम
17. भेराराम पुत्र सोनाराम
18. चौथा पुत्र खींया
19. मंगला पुत्र विरधाराम
20. धूडाराम पुत्र विरधाराम
21. गुमानराम पुत्र विरधाराम
22. पूनमाराम पुत्र अनाराम
    जाति भील निवासी खुडाला
23. राणाराम पुत्र आईदानराम
24. राजूराम पुत्र आईदानराम
25. सोनाराम पुत्रआईदानराम
26. डालूराम पुत्र वेहनाराम
27. चौखाराम पुत्र वेहनाराम
28. गोरधनराम पुत्र वेहनाराम
29. जोगाराम पुत्र वेहनाराम
30. मूलीदेवी पतनी बेहनाराम
31. रेखाराम पुत्र चेनाराम
32. लिछमणाराम पुत्र चेनाराम
33. हरचन्दराम पुत्र राउराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kur
Meena
Date: 2025.06.16 10:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

...राम पुत्र राउराम
...राम पुत्र राउराम
दलाराम पुत्र राउराम
37. गंगादेवी पत्नी राउराम
38. धनाराम पुत्र भेराराम
जाति जाट निवासी खुडाला
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 07.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगाने के पश्चात नेखमबन्दी कराये जाने के आदेश करने की आपत्ति की। विप्रार्थीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। विप्रार्थीगण के आगामी तारीख पेशियों पर हाजिर नहीं होने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा खुडाला पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 158, 159, 159/2 रकबा क्रमशः 0–16, 102–08, 24–10 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम ... करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:34:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा खुडाला पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 158, 159, 159/2 रकबा क्रमशः 0–16, 102–08, 24–10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 7/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav K
Meena
Date: 2025.06.16 10:34:57 IS
Reason: SelfAttested